**संख्या:264/2015/2936जेएल/22-3-15-100(95)/2015**

**प्रेषक,**

**करूणेश कुमार सिंह,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**महानिरीक्षक,**
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 08 अक्टूबर, 2015***

**विषय:** जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी हरेन्द्र पुत्र श्री तेजपाल, निवासी जनपद-गाजियाबाद को जिला कारागार, गाजियाबाद से अन्यत्र जनपद की कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-35691/सामा-1(3)/गाजियाबाद/मेरठ मं0/2010, दिनांक 26-08-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी हरेन्द्र पुत्र श्री तेजपाल, निवासी जनपद-गाजियाबाद को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, फतेहपुर स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।**

**2-** कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**भवदीय,**

**(करूणेश कुमार सिंह)**
**अनु सचिव।**

**संख्या:264/2015/2936जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद/फतेहपुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद/फतेहपुर।
4. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(करूणेश कुमार सिंह)**
**अनु सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in